डीजी परिपत्र सं0-50 /2023

विजय कुमार
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर
विस्तार, लखनऊ,

दिनांकः दिसम्बर, 14, 2023

विषयः- <u>साइबर सेल के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार सर्किल स्तर पर निरीक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में</u> -

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि पूर्व में डीजी परिपत्र संख्याः- 34/23 दिनांक 09.09.2023 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक थानें पर साइबर सेल के गठन, कार्य व दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है, एवं साइबर सेल में निरीक्षक- 01, उ0नि0- 02, मुख्य आरक्षी/आरक्षी- 02 की जनशक्ति निर्धारित की गयी थी, उक्त जनशक्ति में मुख्य आरक्षी/आरक्षी की जनशक्ति को बढाकर 03 किया जाता है।

उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि साइबर सेल में नियुक्त की जाने वाली जनशक्ति में निरीक्षक का तात्पर्य सम्बन्धित थाने के प्रभारी निरीक्षक से है। जिन थानों पर प्रभारी निरीक्षक के स्थान पर उ0नि0 थानाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं, उन थानों के क्षेत्राधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा एक निरीक्षक नियुक्त किया जायेगा, जो इन थानों में दर्ज साइबर अपराधों की विवेचना करेगा। तकनीकी एवं विवेचनात्मक सहयोग सम्बन्धित थाने पर नियुक्त साइबर सेल के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(विजय कुमार)

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को अनुपालनार्थ-</u>

1. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट- लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-</u>

1. समस्त पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।